न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 90/2017 दायरा दिनांक : 13.06.2017

उनवान

1— योगेन्द्र कुमार उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल, जाति अग्रवाल महाजन, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू हाल सत्संग भवन रोड़ बारां, तहसील बारां, जिला बारां

2— राजेन्द्र कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल, जाति अग्रवाल महाजन, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू हाल सत्संग भवन रोड़ बारां, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

2— सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अटरू,

जिला बारां

3— श्री नरेन्द्र बत्रा पुत्र श्री रामकुंवार बत्रा, जाति खत्री पंजाबी, निवासी कृष्णा कालोनी, बारा, तहसील बारां, जिला बारां (ठेकेदार)

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रमाकान्त लोहिया एवं श्री रमेश गोयल

अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेश गौतम अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 16/2016 निर्णय दिनांक 30.03.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू में प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 1482/2452 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 1482/2453 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 1486/2817 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 1487 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 1489 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 1490 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 1491 रकबा 1.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 3139/1482 रकबा 0.14 हेक्टर कुल 10 किता की 4.44 हेक्टर आराजी है जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है । प्रतिपक्षी 1 और 2 के निर्देशानुसार प्रतिपक्षी नम्बर 3 अन्य गांव से मोठपुर का रोड़ बना रहे हैं और वो प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 1482/2452, खसरा नम्बर 1482/2453, खसरा नम्बर 1483 में से होकर रास्ता निकालने पर आमादा है । प्रतिपक्षीगण को प्रार्थी के खाते की आराजी में से रास्ता निकालने का कोई अधिकार नहीं है । प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन आदि प्रार्थीगण के पक्ष में हे । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर निर्णय दिनांक 30.03.2017 प्रार्थना पत्र

प्रार्थी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के खाते की है जिस पर सड़क निर्माण का रेस्पोडेंटगण को कोई अधिकार नहीं है । नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 11.05. 2016 से स्पष्ट है कि सड़क अपीलांट के खाते एवं कब्जे की आराजी पर बनाया जा रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर इस रिपोर्ट पर गौर नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलांट राजेन्द्र कुमार के बुखार से पीड़ित होने के कारण, अपीलांट योगेन्द्र के ह्दय रोग से पीड़ित होने के कारण समय पर अपील पेश नहीं की जा सकी । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के खाते की है जिसमें से होकर रेस्पोडेंट सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं । नायब तहसीलदार की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि सड़क का निर्माण अपीलांट के खाते की भूमि में किया जा रहा

है फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि सड़क निर्माण का कार्य खसरा नम्बर 1482 गैर मुमकिन रास्ते में से किया जा रहा है, जनहित का कार्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 538 सलंगन है जिसमें 10 किता की 4.44 हेक्टर आराजी प्रार्थी अपीलांट के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नजरी नक्शा भी सलंग्न की गई है । इसके अलावा पत्रावली पर मौका रिपोर्ट दिनांक 11.05.2016 नायब तहसीलदार कवाई सलंग्न है । इसमें अवगत करवाया गया है कि प्रार्थीगण की आराजी 1482/2452 में से 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 1482/2453 में से 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 1482/3139 में से 0.02 हेक्टर और खसरा नम्बर 1483 में से 0.03 हेक्टर आराजी में से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्रेवल मिट्टी डालकर सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है । मौका रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी और नायब तहसीलदार के अलावा राजेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर है । अप्रार्थीगण में से किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौका कमिश्नर की रिपोर्ट सलंग्न है उसमें नायब तहसीलदार के द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1482/2452, 1482/2453, 1482/3139 एवं 1483 पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्रेवल मिट्टी डालकर सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, परन्तु यह मौका रिपोर्ट राजेन्द्र कुमार प्रार्थी की उपस्थिति में तैयार की गई है । रेस्पोडेंट अप्रार्थी नम्बर 2 व 3 की इसमें उपस्थिति नहीं दर्शायी गयी है और न ही यह अंकित किया गया है कि बावजूद सूचना वो उपस्थित नहीं हुए । मौका कमिश्नर रिपोर्ट उभयपक्ष के सामने तैयार किया जाना आवश्यक होता है । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका कमिश्नर से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा